लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 260
दिनांक 04 फरवरी, 2025 / 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षतिः

†260. श्री तारिक अनवरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपदाओं की भीषणता और उससे हुई क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय दल भेजे गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संबंधित राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता के रुप में तत्काल राहत और क्षति संबंधी आकलन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रदान किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): यह मंत्रालय बाढ़ और भूस्खलन सहित किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का डेटा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखता है। हालांकि, विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 (27.01.2025 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुए नुकसान का विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 04/02/2025

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

2024-25 के दौरान दिनांक 27.01.2025 तक, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के मौके पर आकलन के लिए असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडू और पुड्डुचेरी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 14 आईएमसीटी गठित की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा आईएमसीटी की रिपोर्टों पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 (27.01.2025 तक) के दौरान एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 04/02/2025

अनुलग्नक "I"

वर्ष 2024-25 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

27.01.2025 तक अनंतिम

क्र. स.	**राज्य**	**जीवन जन हानी (सं.)**	**पशु धन क्षति (सं.)**	**मकान क्षति (सं.)**	**प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हे.)**
1	आंध्र प्रदेश	56	122	1323	0.11
2	अरुणाचल प्रदेश	12	55	771	-
3	असम	128	16207	156691	1.38
4	बिहार	64	-	191	-
5	छत्तीसगढ़	125	289	2154	-
6	गोवा	4	2	696	-
7	गुजरात	230	7222	20741	-
8	हरियाणा	1	-	16	-
9	हिमाचल प्रदेश	408	7110	1089	-
10	कर्नाटक	185	1219	22414	2.86
11	केरल	355	-	7850	-
12	मध्य प्रदेश	373	1204	8147	-
13	महाराष्ट्र	206	551	98	-
14	मणिपुर	11	233	29639	0.01
15	मेघालय	43	241	4043	0.01
16	मिज़ोरम	44	7	440	0.21
17	नागालैंड	27	1	2231	0.03
18	ओडिशा	30	2	1941	0.22
19	पंजाब	23	10	114	-
20	राजस्थान	131	492	1863	-
21	सिक्किम	13	4244	1679	-
22	तमिलनाडू	77	8512	11201	4.00
23	तेलंगाना	29	13412	8690	-
24	त्रिपुरा	78	15	67487	-
25	उत्तर प्रदेश	88	33	2644	3.95
26	उत्तराखंड	80	524	3484	0.05
27	पश्चिमी बंगाल	14	-	-	1.38
28	दिल्ली	68	-	8	-
29	जम्मू & कश्मीर	28	73	1069	0.02
30	पुडुचेरी	5	46	4667	0.01
	कुल योग	**2936**	**61826**	**363381**	**14.24**

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 260, दिनांक 04/02/2025

अनुलग्नक "II"

वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ़) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ़) के तहत निधि का राज्यवार आवंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण।

(27.01.2025 तक करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य	एसडीआरएफ़ से आवंटन			एसडीआरएफ़ से जारी		एनडीआरएफ़ से जारी
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	
1.	आंध्र प्रदेश	1036.00	344.80	1380.80	518.00	518.00	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	231.20	25.60	256.80	115.60	--	--
3.	असम	716.00	79.20	795.20	358.00	358.00	--
4.	बिहार	1311.20	436.80	1748.00	655.60	655.60	--
5.	छत्तीसगढ़	400.00	133.60	533.60	--	--	--
6.	गोवा	10.40	3.20	13.60	5.20	--	--
7.	गुजरात	1226.40	408.80	1635.20	600.00#	--	--
8.	हरियाणा	455.20	151.20	606.40	227.60	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	378.40	41.60	420.00	189.20	189.20	66.924
10.	झारखंड	526.40	175.20	701.60	500.80#	--	--
11.	कर्नाटक	732.00	244.00	976.00	366.00	--	3454.22
12.	केरल	291.20	96.80	388.00	145.60	145.60	--
13.	मध्य प्रदेश	1686.40	561.60	2248.00	843.20	--	--
14.	महाराष्ट्र	2984.00	994.40	3978.40	1492.00	1492.00	--
15.	मणिपुर	40.00	4.00	44.00	38.80#	11.20	--
16.	मेघालय	60.80	6.40	67.20	59.60#	--	--
17.	मिजोरम	43.20	4.80	48.00	21.60	21.60	7.56
18.	नागालैंड	38.40	4.00	42.40	19.20	19.20	--
19.	ओडिशा	1485.60	495.20	1980.80	742.80	742.80	--
20.	पंजाब	458.40	152.80	611.20	229.20	--	--
21.	राजस्थान	1372.00	456.80	1828.80	686.00	--	--
22.	सिक्किम	47.20	4.80	52.00	23.60	23.60	221.122
23.	तमिलनाडु	944.80	315.20	1260.00	472.40	472.40	276.10
24.	तेलंगाना	416.80	138.40	555.20	208.40	208.40	--
25.	त्रिपुरा	63.20	7.20	70.40	31.60	40.00	25.00
26.	उत्तर प्रदेश	1791.20	596.80	2388.00	1748.40#	--	--
27.	उत्तराखंड	868.00	96.00	964.00	434.00	--	--
28.	पश्चिम बंगाल	936.00	312.00	1248.00	468.00	468.00	--
	कुल योग	**20550.40**	**6291.20**	**26841.60**	**11200.40**	**5365.60**	**4050.91**

#=एसडीआरएफ़ के पिछले वर्ष के बकाया सहित।

*****